भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *464

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2019

एमएसएमई क्षेत्र का विकास

***464. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः**
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज़) क्षेत्र के विकास के लिए कोई विशेष ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को निदेश दिया है कि वे एमएसएमई संबंधी ऋणों के संबंध में महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करके उचित कार्रवाई करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) त्वरित विकास के लिए एमएसएमई को दी जा रही छूट और प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ करने, जो देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, हेतु आरंभ किए गए उपायों से देश में एमएसएमई के विकास में शनैः शनैः सकारात्मक परिणाम आने आरंभ हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एमएसएमई क्षेत्र के उद्देश्यों तथा उनके द्वारा अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *464 जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2019 को दिया जाना है के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम– क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी),टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र,पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), खरीद और विपणन सहायता योजना, उद्यमिता कौशल कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएएलसीएस-टीयूएस) और सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) शामिल है। है।

सरकार ने एमएसएमई के लिए ऋण की आसानी से उपलब्धता, प्रौद्योगिकी सहयोग और इज ऑफ डुइंग बिजनेस को सुविधाजनक बनाने के लिए 02.11.2018 को 12 प्रमुख पहलों की घोषणा की है।

दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन), अध्यादेश, 2018 प्रवर्तक को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन अपने उद्यम के लिए बोली लगाने के लिए अयोग्य घोषित न करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों (एमएसएमई) को राहत प्रदान करता है बशर्ते वह इरादतन चूककर्ता न हो और चूक से संबंधित अन्य निरर्हताएं उस पर लागू न होती हो।

(ख) : बैंकों में एमएसएमई के ऋणों के लिए वरिष्ठ स्तर के पदनामित अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

(ग) : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत 1.5 करोड़ रु. तक के टर्नओवर वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयों को कम्पोजीशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) (एमएसएमई) द्वारा नए और वृद्धिशील ऋणों के लिए ब्याज में छूट की योजना आरंभ की गई है जिसके अंतर्गत उद्योग आधार नम्बर (यूएएन) और जीएसटी पंजीकरण वाली सभी पात्र इकाइयों को ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(घ) और (ड.) : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान कुल सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) में एमएसएमई की हिस्सेदारी 31.8% थी। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान कुल निर्यात में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों का हिस्सा 48.10% है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा संचालित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) (2016-17) के 73वें दौर के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में नियोजित लोगों की संख्या लगभग 11.10 करोड़ है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वर्ष 2014-15 से 2018-19 के मध्य सृजित अनुमानित रोजगार 3.58 लाख से बढ़कर 5.87 लाख हुआ है।

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत अनुमोदित गारंटी की संख्या और राशि में वृद्धि हुई है। विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	अनुमोदित ऋण सुविधाओं की संख्या (लाख में)	अनुमोदित गारंटी राशि (रूपए करोड़ में)
2017-18	2.63	19065.90
2018-19	4.36	30168.57

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के बकाए ऋण में वृद्धि हुई है, जिसका ब्यौरा नीचे नीचे दिया गया है:

समाप्ति वर्ष	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)
मार्च 2017	1070129.48
मार्च 2018	1149353.83
मार्च 2019 (अनंतिम)	1497687.10

एमएसएमई मंत्रालय मौजूदा 18 टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों के माध्यम से उच्च कोटि की दक्षता और प्रौद्योगिकी सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है।

इन मौजूदा 18 टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए गए प्रशिक्षण का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या (लाख में)
2016-17	1.49
2017-18	1.47
2018-19	2.08

सार्वजनिक खरीद नीति केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एमएसई से वार्षिक खरीद का पहले से निर्धारित 20% के स्थान पर कम से कम 25% की खरीद को अनिवार्य बनाती है। सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक ऑनलाईन पोर्टल "एमएमएसई-संबंध" की शूरूआत की गई है। एमएसई उत्पादों और सेवाओं की खरीद में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	कुल खरीद (रू. करोड़ में)	एमएसई से खरीद (रू. करोड़ में)
2017-18	114,042	26357.46
2018-19	152620.40	40303.26

सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए 'कलस्टर विकास दृष्टिकोण' (सीडीपी) को एक प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया है। एमएसई-सीडीपी के तहत हुई प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	अनुमोदित परियोजनाएं	पूर्ण परियोजनाएं	बजट उपयोगिता (रू. करोड़ में)
2016-17	9	10	121.68
2017-18	21	24	157.11
2018-19	36	28	172.73

ग्रामीण कारीगरों के द्वार तक कम पूंजी निवेश पर रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए खादी गतिविधि को सशक्त उपकरण माना जाता है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में उपलबधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	उत्पादन (रू. करोड़ में)		बिक्री (रू. करोड़ में)		संचयी रोजगार (व्यक्तियों की संख्या लाख में)	
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
2016-17	1520.83	41110.26	2146.60	49991.61	4.56	131.84
2017-18	1626.66	46454.75	2510.21	56672.22	4.65	135.71
2018-19 (पी)	1963.30	56255.18	3215.13	71113.68	4.95	142.03

नोट: खादी में 2015-16 के बाद से पॉलीवस्त्र और सौरवस्त्र शामिल हैं, पी-अनंतिम

कॅयर बोर्ड का उद्देश्य कॅयर यार्न और कॅयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर देश में कॅयर उद्योग का विकास करना है। कॅयर बोर्ड की उपलबधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	कॅयर फाईबर का उत्पादन (एमटी में)	निर्यात (रू. करोड़ में)
2016-2017	5,56,900	2281.65
2017-2018	5,59,400	2532.28
2018-2019	7,49,600	2728.05

*****